(9)

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता पूर्णियाँ

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–68/2010

1. अब्दुल मन्नान, पिता–स्व0 हसीमुद्दीन
2. अलाउद्दीन, पिता–स्व0 हसीमुद्दीन
3. बसेरा खातुन, पिता–स्व0 हसीमुद्दीन, पति–अबुल

क्र0 1 एवं 2 का सा0–बनैली, क्र0–3 का सा0–गरनाघाट, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ

———आवेदक प्रथम पक्ष

4. तारिक अनवर
5. बीबी माह निगार
6. बीबी शहनाज बेगम
7. बीबी अंजो
8. बीबी गुलनार

क्रमांक 4 से 8 के पिता– अब्दूल कैयूम
माता–स्व0 बेगम बहार

क्र0 8 एवं 7 का सा0–काढ़ागोला, थाना– काढ़ागोला, जिला कटिहार

———आवेदक द्वितीय पक्ष

बनाम

1. बीबी नरून निशा, पति–मो0 तबारक हुसैन
2. मो0 तबारक हुसैन, पिता–स्व0 हसीमुद्दीन

दोनों का सा0–बनैली, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ

———विपक्षीगण

आदेश

आवेदकगण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं0–12/2007–08 में दिनांक–05.04.2010 को तथा अंचल पदाधिकारी, कसबा द्वारा नामान्तरण वाद सं0–13/2007–08 में पारित आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया है। आवेदकगण का कथन है कि उभय पक्ष एक ही पूर्वज स्व0 हसीमुद्दीन के नाम 86 डि0 जमीन था और उन्हें तीन पुत्र आवेदक सं0 1 एवं 2 तथा विपक्षी सं0 2 और दो पुत्री क्रमशः आवेदक सं0 3 एवं आवेदक सं0 4 से 8 की माता स्व0 बेगम बहार थी। हसीमुद्दीन के मृत्यु के उपरांत आपसी बटवारा में तीनों पुत्र आवेदक सं0 1, 2 एवं विपक्षी सं0 2 को 21 डिसमिल प्रति पुत्र एवं शेष जमीन दोनों पुत्री को आधा–आधा दिया गया। विपक्षी सं0 2 ने अपने हिस्से 21 डिसमिल की जगह 28 डिसमिल जमीन रजिस्टर्ड केवाला द्वारा अपनी पत्नी बीबी नुरूल निशा विपक्षी सं0 1 को दे दिया। इस प्रकार विपक्षी सं0 2 ने अपने हिस्से से 7 डिसमिल अतिरिक्त जमीन पत्नी के नाम केवाला किया। साथ ही जाली दस्तावेज के आधार पर अंचल पदाधिकारी, कसबा द्वारा नामान्तरण वाद सं0–13/2007–08 द्वारा नामान्तरण भी अपनी पत्नी के नाम करवा लिया। अंचल पदाधिकारी द्वारा नामान्तरण से पूर्व आवश्यक प्रक्रियाँओं का पालन किए बगैर नामान्तरण किया गया। क्योंकि आपसी बटवारा के अनुसार सभी पक्षों को अपने हिस्से पर

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

दखल व कब्जा है। अंचल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आवेदकगण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर के न्यायालय में अपील वाद सं0–12/2007–08 दायर किया गया। लेकिन निम्न न्यायालय द्वारा उक्त अपील वाद को खारिज कर दिया गया। अतः आवेदकगण निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन कर नियमानुसार आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि आवेदकगण द्वारा प्रारंभ किया गया यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। आवेदक सं0 4 से 8 की माता स्व0 बेगम बहार की मृत्यु पिता हसीमुद्दीन की मृत्यु के पूर्व हो चुकी थी। अतः मुस्लिम कानून के अनुसार मृत पुत्री के वारिस का हक नहीं है। साथ ही दूसरी पुत्री आवेदक सं0 3 बसेरा खातुन ने अपने हिस्से की जमीन शपथ–पत्र द्वारा तीनों भाई आवेदक सं0 1, 2 एवं विपक्षी सं0 2 को छोड़ दिया। इस प्रकार पिता स्व0 हसीमुद्दीन द्वारा छोड़े गए 84 डिसमिल जमीन का वास्तविक बटवारा केवल तीनों पुत्रों के बीच होगा और एक को हिस्से में 28 डिसमिल जमीन मिलेगा और वही 28 डिसमिल अपने हिस्से की जमीन विपक्षी सं0 2 ने अपने पत्नी के नाम केवाला कर नामान्तरण करवाया। अतः विपक्षी निवेदन करता है कि आवेदकगण द्वारा प्रारंभ किए गए इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 24.02.2012 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक का कथन है कि निम्न न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। उनके द्वारा विवादित बिक्री केवाला के आधार पर एवं बिना स्थल निरीक्षण किये निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने की बात कही गयी।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन पर उनका दखल–कब्जा है एवं उक्त जमीन पर इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान बना हुआ है। इस कारण से ही अंचलाधिकारी द्वारा भी विधिवत दखल–कब्जा किया गया एवं विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया। इसलिये आवेदक का आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

पुनः दिनांक 30.03.2012 को सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा उभय पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकयता प्रतीत नहीं होता है। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/3/12

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

30/3/12

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ